Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–263 / 2025

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
पता– थिकलना,पो0ऑ0– थिकलना,,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके विद्युत संख्या ए.आर.21876704048 के सापेक्ष पूर्व में 8–9 माह पहले उनका मीटर खराब हुआ था जिसे विभाग द्वारा बदल दिया गया था जिसकी वजह से उनका बिल बहुत अधिक आया था। उन्होने बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

2 प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1006 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.10.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से श्री संतोष अग्रवाल एस.डी.ओ. उपस्थित हुए विभाग द्वारा बताया कि प्रकरण की आख्या तैयार की जा रही है जो कि 15 दिन के अंदर मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। वादी ने बताया कि वह बहुत दूर से आते है। अतः अगली सुनवायी फोन नं0 9410304595 पर की जाए। जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि अगली सुनवायी तक वादी की बिजली ना काटी जाए। अगली सुनवायी तिथि 11.11.2025 नियत की गयी थी।

4.मंच की सुनवाई दिनांक 11.11.2025 तथा 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी से उसके द्वारा दिये गये फोन नं0 9410304595 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से उपस्थितए श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी के मीटर को खराब मानते हुए दिनांक 14.04.2025 में बदल दिया गया था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह उतारे गये मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

5.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 15.012026 वादी से उसके द्वारा दिये गये फोन नं0 9410304595 पर बात करने की कोशिश की गयी परंतु संपर्क नहीं हो पाया।

विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर ने बताया कि वादी के मीटर को खराब मानते हुए दिनांक 14.04.2025 में बदल दिया गया था। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह बदले हुए मीटर के 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मीटर खराब अवधि का, 15 दिन के अंदर बिल संशोधन कर, संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि वादी के मीटर को खराब मानते हुए दिनांक 14.04.2025 में बदल दिया गया था। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह बदले हुए मीटर के 06 महिने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर तथा मौसमी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, मीटर खराब अवधि का, 15 दिन के अंदर बिल संशोधन कर, संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–264 / 2025

श्री दया कृष्ण,पुत्र श्री जगदीश प्रसाद,
पता– सिमस्यारी,पो0ऑ0– सिमस्यारी,
जिला– बागेश्वर।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका विद्युत संख्या 40112826221 के सापेक्ष मीटर खराब होने के कारण पिछले 7–8 माह से उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। फरवरी में यह बिल रू0 647 आया था जो उन्होने जमा करा दिया था। उसके बाद लगातार उनका बिल बढ़ता ही जा रहा था जिसके कारण वह बिल जमा करने में असमर्थ थें। माह अक्टूबर में उनका बिल रू0 21482 आया था जिसे वह जमा नहीं कर पाएं। उन्होने उपरोक्त बी.पी.एल बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

2 प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1007 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 24.10.2025 तथा 11.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आनंद खोलिया एस.डी.ओ. ने बताया कि वादी का खराब मीटर अगस्त 2025 में बदल दिया गया था। उन्होने यह भी बताया कि वादी के कुल बिल रू0 21482 में, रू0 17025 का क्रेडिट देते हुए उनका बिल संशोधित कर दिया गया है जो अद्यतन रू0 4915 बनता है। विभाग को कहा गया था कि वह 10 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपजब्ध कराकर उसकी प्रतिलिपी मंच के समक्ष अगली सुनवायी तिथि 26.11.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

4.मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 तथा 17.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने बताया कि वादी का बिल रू0 21482 से संशोधित होकर रू0 4915 बनता है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 963060531 पर बात की गयी जिसने उपरोक्त संशोधन पर असहमति व्यक्त की।

विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह उपरोक्त संशोधन का पुनः निरीक्षण कर अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि दिनांक 15.01.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

5.मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से बताया गया था कि वादी का मीटर खराब था जिसे अगस्त 2025 में बदल दिया गया था। उन्होने बताया कि वादी के कुल रू0 21482 में, रू0 17025 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 4915 बना है जो सही है और देय है वादी को कहा जाता है कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त बिल जमा करें। वादी को यह भी कहा जाता है कि अगर उपरोक्त संशोधित बिल रू0 4915 को एकमुश्त जमा करने में कोई वित्तीय समस्या है तो वह 03 समान किश्तों में उपरोक्त बिल को जमा करने की सुविधा ले सकते हैं।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का मीटर खराब था जिसे अगस्त 2025 में बदल दिया गया था। उन्होने बताया कि वादी के कुल रू0 21482 में, रू0 17025 का क्रेडिट देते हुए नेट बिल रू0 4915 बना है जो सही है और देय है वादी को कहा जाता है कि वह 15 दिन के अंदर उपरोक्त बिल जमा करें। वादी को यह भी कहा जाता है कि अगर उपरोक्त संशोधित बिल रू0 4915 को एकमुश्त जमा करने में कोई वित्तीय समस्या है तो वह 03 समान किश्तों में उपरोक्त बिल को जमा करने की सुविधा ले सकते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

15/01/26	15/1/2026	15/01/26
बी0 एस0 बिष्ट	**ओ0पी0 दीक्षित**	**कु0 निर्मला तिवारी**
उपभोक्ता सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**न्यायिक सदस्य**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–267 / 2025

श्रीमती मोहनी देवी,
पता– ग्राम– नौला, पो0– बनठोक,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1– वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके परिसर में संयोजन एकाउन्ट नं0 40116588031 बीपीएल0 श्रेणी में स्व0 श्री उमापति के नाम से निर्गत किया गया था जिनकी मृत्यु के पश्चात्, उन्होंने एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संयोजन स्थानानान्तरित कराने के लिए निवेदन किया था क्योंकि मेरे ससुर श्री उमापति की मृत्यु के पश्चात् उनके पति श्री हरीश चन्द्र का भी निधन हो चुका है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1028 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2025 में वादी की तरफ से श्री उमेश पांडे, वादी के पुत्र तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान, एईआर उपस्थित हुए। प्रकरण में उपरोक्त विद्युत संयोजन श्री उमापति के नाम से बीपीएल0 श्रेणी में निर्गत किया गया था जिनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिश /पुत्र श्री हरीश की भी मृत्यु 2024 में हो चुकी है। वर्तमान में इस परिवार के वारिशान श्रीमती मोहनी पत्नि स्व0 हरीश तथा उनके तीन पुत्र श्री जीवन चन्द्र, श्री उमेश पाण्डे तथा श्री नवीन चन्द्र पांडे हैं। परिवार की मुखिया श्रीमती मोहनी ने उपरोक्त संयोजन को बीपीएल0 श्रेणी में रहते हुए अपने नाम परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है। विभाग का कहना है कि यह संयोजन बीपीएल0 श्रेणी में श्री उमापति के नाम से पंजीकृत था और अब श्रीमती मोहनी के नाम से संयोजन परिवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी से बीपीएल0 प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वादी कहना था कि उनके परिवार के मुखिया श्रीमती मोहनी आज भी बीपीएल0 श्रेणी में आती हैं। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह सक्षम अधिकारी से उपरोक्त की पुष्टि करा लें तथा वादी को कहा गया था कि वह बीपीएल0 श्रेणी के बावत् सपथपत्र प्रेषित करें। अगली सुनवायी तिथि 26.11.2026 नियत की गयी थी।

15/01/26

15/1/2026

3.'मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 तथा दिनांक 16.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने बताया कि बीपीएल0 श्रेणी की पुष्टि के लिए विभागीय पत्र सं0 548 दिनांक 22.11.2025 के द्वारा संबधित खंड विकास अधिकारी को लिखा गया है। वादी ने भी बीपीएल0 श्रेणी के लिए एक सपथ पत्र दिया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह संबधित विभाग से संपर्क करा लें अन्यथा कि स्थिति में सपथपत्र के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

4. .मंच की अन्तिम सुनवाई तिथि दिनांक 15.01.2026 मे वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने बताया कि बीपीएल0 श्रेणी की पुष्टि के लिए विभागीय पत्र सं0 548 दिनांक 22.11.2025 के संदर्भ में, खंड विकास अधिकारी धौलादेवी अल्मोडा ने, अपने पत्रांक सं0 869 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा सूचित किया है कि वादी का बीपीएल0 कार्यालय के अभिलेखों में नाम अंकित नहीं है। वादी को कहा जाता है कि वह बीपीएल0 प्रमाण पत्र के साथ, जब भी उपलब्ध हो विद्युत कार्यालय में संयोजन परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं अन्यथा की स्थिति में वह वर्तमान संयोजन को उचित वारिशान के नाम विभाग के नियमानुसार परिवर्तित करा ले।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि बीपीएल0 श्रेणी की पुष्टि के लिए विभागीय पत्र सं0 548 दिनांक 22.11.2025 के संदर्भ में, खंड विकास अधिकारी धौलादेवी अल्मोडा ने, अपने पत्रांक सं0 869 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा सूचित किया है कि वादी का बीपीएल0 कार्यालय के अभिलेखों में नाम अंकित नहीं है। वादी को कहा जाता है कि वह बीपीएल0 प्रमाण पत्र के साथ, जब भी उपलब्ध हो, विद्युत कार्यालय में संयोजन परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं अन्यथा की स्थिति में वह वर्तमान संयोजन को उचित वारिशान के नाम विभाग के नियमानुसार परिवर्तित करा ले।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

15/01/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

15/01/2026

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

15/1/2026

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–268 / 2025

श्री इंदर सिंह, पुत्र श्री नंदन सिंह,
पता– दुगौरा पो0ऑ0– रतगल,
रानीखेत जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड, रानीखेत
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या 40110738473 के सापेक्ष उनके मीटर की रीडिंग 12542 दिखायी गयी है जबकि उनके अद्यतन बिजली के बिल में यह 6470 अंकित है जिसकी वजह से उन्हें भारी भरकम बिल प्राप्त ह ुआ है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1029 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 11.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री राजेन्द्र बेलवाल एस.डी.ओ. रानीखेत ने बताया कि वादी का मीटर सितंबर 2016 में बदला गया था जिसकी रीडिंग अगस्त 2025 में 12590 रिकार्ड हुई है और एवरेज विद्युत उपभोग 114 यूनिट प्रतिमाह रहा है। बिलिंग हिस्ट्री देखने पर प्रतीत होता है कि वादी के विगत में प्रतिमाह बिल,वर्ष 2016 से 12 यूनिट, 11 यूनिट– 100–290–75–03–07–70–40–110–64–01 आदि आदि यूनिट के निर्गत हुए हैं जो कि अनियमित हैं। विभाग ने सितंबर 2016 से अगस्त 2025 तक रिकार्डिड 12590 यूनिट को संबंधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ स्लैब के अनुसार तथा विगत में अनियमित रिडींग के निर्गत बिलों का समायोजन करने के पश्चात् 20590.50 रू0 के बिल की गणना की है। यह प्रकरण प्रथम दृष्टिया अनियमित मीटर रिडींग एंव आशिंक डंम्प रिडींग से संबंधित है। प्रकरण की गहनता से जॉच के लिए विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एमआरआई0 कराकर बिलिंग हिस्ट्री के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवाई तिथि 26.11.2025 से पहले भेजना

परिवाद संख्या 268/2025

सुनिश्चित करें। विभाग को कहा गया था कि वह दोषी मीटर रीडर के विरूद्व अनुशासन कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

3. मंच की सुनवाई दिनांक 26.11.2025 वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री राजेन्द्र बेलवाल, एस.डी.ओ. द्वाराहाट ने बताया कि एमआरआई0 रिपोर्ट में नववंर 2024 11170.7, दिसंबर 2024 में 11326.0, जनवरी 2025 11476.5, नवबंर 2025 में 12571.3 अंकित की गयी है।जबकि मीटर रीडर द्वारा अप्रैल 2025 में 5812, मई 2025 में 5910 यूनिट, जून 2025 में 6000, जुलाई 2025 में 6001, अगस्त 2025 में 6190, 15.09.2025 में 6280, 15.10.2025 में 12590 तथा 15.11.2025 में 6660 यूनिट अंकित की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि मीटर रीडर ने 15.10.2025 में 12590 रीडिंग के अलावा बांकी रीडिंग वास्तविक रीडिंग से कम दिखाई हैं जिससे रीडिंग डम्प हुई हैं। विभाग ने मीटर बदलने की तिथि से डम्प अवधि में औसत के आधार पर रीडिंग को संबधित अवधि में वितरित कर तथा तत्कालीन टैरिफ का लाभ देते हुए तथा रू0 30094.05 का कैडिट देते हुए नेट बिल रू0 20593 के बिल की गणना की है जो कि अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधिन है। विभाग ने बताया कि इसके बाद एक बिल और निर्गत होना है जो कि उपरोक्त संशोधित बिल के अनुमोदन के पश्चात् निर्गत होगा। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह अनुमोदन के पश्चात् नेट सही बिल 10 दिन के अन्दर मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अगली सुनवाई तिथि 16.12.2025 नियत की गयी थी। विभाग ने बताया कि दोषी मीटर रीडर की सेवायें समाप्त कर दी गई है।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 16.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग को मंच की सुनवायी तिथि 26.11.2025 में निर्देशित किया गया था कि वह नेट सही बिल 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें जो कि अभी तक प्रतिक्षित है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अंदर संशोधित सही बिल मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

5 .मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 8595510275 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री मेहपाल सिंह अवर अभियंता उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि ये प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें तत्कालीन मीटर रीडर ने 15.10.2025 में 12590 रीडिंग के अलावा, इससे पहले की रीडिंग, वास्तविक रीडिंग से कम अंकित की थीं और इस दोष के लिए विभाग द्वारा संबंधित मीटर रीडर की सेवाएं समापत कर दी गयी है। विभाग ने मंच के निर्देश दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में अद्यतन बिल रू0 50435 में रू0 29041 का क्रेडिट देते हुए तथा संपूर्ण एल.पी.एस.सी हटाते हुए नेट बिल रू0 21041 गणना की है जो कि सही है और देय है। वादी के अनुरोध पर उक्त बिल वादी के उपरोक्त फोन नं0 पर व्हाट्सएप पर दिया गया है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि ये प्रकरण डंप रीडिंग से संबंधित है जिसमें तत्कालीन मीटर रीडर ने 15.10.2025 में 12590 रीडिंग के अलावा, इससे पहले की रीडिंग, वास्तविक रीडिंग से कम अंकित की थीं और इस दोष के लिए विभाग द्वारा संबंधित मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। विभाग ने मंच के निर्देश दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में अद्यतन बिल रू0 50435 में रू0 29041 का क्रेडिट देते हुए तथा संपूर्ण एल.पी.एस.सी हटाते हुए नेट बिल रू0 21041 की गणना की है जो कि सही है और देय है। वादी के अनुरोध पर उक्त बिल वादी के उपरोक्त फोन नं0 पर व्हाट्सएप पर दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक – 15.01.2026</u>

बी0 एस0 बिष्ट 15/01/26
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित 15/1/2026
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–270 / 2025

श्री बिपिन चंद्र तिवारी ,
इंडस टॉवर लि0, भिक्यासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–बागेश्वर।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट नं0 40117089195, 23 किलोवाट के विद्युत भार के सापेक्ष, अगस्त 2025 के बिल में अतिरिक्त मैक्सिमम डिमांड के कारण 18480 रू0 का अतिरिक्त डिमांड चार्ज लगा दिया हैं जबकि उनका विद्युत भार कभी भी स्वीकृत भार से अधिक नहीं हुआ। उन्होने लेट पेमेंट सरचार्ज रहित बिल को ठीक करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1044 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री मुकेश भाकुनी अवर अभियंता ने आख्या प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन के समय की मांग की। अगली सुनवायी तिथि 17.12.2025 को नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनांक 17.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता वि0 वि0 खंड बागेश्वर ने सूचित किया था कि जिला अधिकारी की मीटिंग की वजह से वह सुनवायी में उपस्थित नही हो सकते। विभाग को निर्देशित किया गया था कि अतिरिक्त डिमांड धनराशि रू0 18480 के विवरण के साथ अपनी आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

15/1/26

15/1/2026

4 .मंच की अंतिम सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने बताया कि अगस्त 2025 के बिल में निर्गत हुयी अतिरिक्त डिमांड धनराशि रू0 18480 का समायोजन उपभोक्ता के बिल में कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को ई.मेल के माध्यम से सूचित कर दिया है। वादी की तरफ से श्री विपिन चन्द्र तिवारी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797097 पर सुनवायी की गयी जिस पर वादी ने उपरोक्त समायोजन से संतुष्ट व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि अगस्त 2025 के बिल में निर्गत हुयी अतिरिक्त डिमांड धनराशि रू0 18480 का समायोजन उपभोक्ता के बिल में कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को ई.मेल के माध्यम से सूचित कर दिया है। वादी की तरफ से श्री विपिन चन्द्र तिवारी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797097 पर बात की गयी जिस पर वादी ने उपरोक्त समायोजन से संतुष्ट व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–**273 / 2025**

श्री गणेश लाल ,
ग्राम– पल्यू, तहसील– अल्मोडा,
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन नं0 एआर 218129044 के सापेक्ष विद्युत विभाग से रू0 8548 का नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त संयोजन उनकी माता जी स्व0 श्रीमती चम्पा देवी के नाम निर्गत किया गया था जिनका वर्ष 2016 में निधन हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त संयोजन 8000 रू0 के बकाये पर वर्ष 2017 में विच्छेदित कर दिया गया था। वादी ने निवेदन किया है कि वह वर्ष 2022–2023 में बकाया रू0 8548 जमा कर उपरोक्त संयोजन अपने नाम कर दिया जाये जिसके लिए उन्होंने वाद दाखिल किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1052 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने आख्या प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की। अगली सुनवायी तिथि 16.12.2025 को नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.12.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी, कार्यालय सहायक द्वितीय ने बताया कि विद्युत संयोजन की अवधि का बिल बनाया जा रहा है और बिल के साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 को नियत की गयी थी।

4.मंच की अन्तिम सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

15/01/26 15/1/2026

विभाग की तरफ उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने बताया कि वादी के कटे हुए कनैक्शन के सापेक्ष रू0 8548 का बिल निर्गत हुआ है जिसमें आंशिक रूप से संशोधन होना है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अन्दर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें। वादी को कहा जाता है कि वह उपरोक्त संशोधित बिल जमा करने के पश्चात्, आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्धारित प्रपत्रों के साथ, विद्युत कार्यालय में उपरोक्त संयोजन के नाम परिवर्तन तथा उर्जिकृत के लिए आवेदन करें जिसमें विभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन तथा उर्जिकृत की कार्यवाही की जायेगी।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के कटे हुए कनैवशन के सापेक्ष रू0 8548 का बिल निर्गत हुआ है जिसमें आंशिक रूप से संशोधन होना है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अन्दर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें। वादी को कहा जाता है कि वह उपरोक्त संशोधित बिल जमा करने के पश्चात्, आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्धारित प्रपत्रों के साथ, विद्युत कार्यालय में उपरोक्त संयोजन के नाम परिवर्तन तथा उर्जिकृत के लिए आवेदन करें जिसमें विभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर नाम परिवर्तन तथा उर्जिकृत की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु० निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–276 / 2025

श्री गौतम दास,
पता– ग्राम– ज्योली, आईसीएआर,
प्रायागिक फॉर्म, हवालबाग,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला– अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1– वादी ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंनें अपने परिसर के लिए नये संयोजन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि बार– बार संपर्क करने के बावजूद क्षेत्रिय अवर अभियन्ता संयोजन देने में आना कानी कर रहे हैं। उन्होंने नया संयोजन दिलवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1078 दिनांक 12.12.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 16.12.2025 में वादी द्वारा दिये गये फोन नं0 8420190102 पर सुनवायी की गई। वादी ने बताया कि उनके द्वारा नये संयोजन प्रदान करने के लिए मई 2024 में आवेदन दिया था। जिसमें क्षेत्रिय अवर अभियन्ता द्वारा बार'– बार आश्वासन के बावजूद संयोजन निर्गत नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा आख्या भी प्राप्त नहीं हुई। विभाग को अन्तरिम आदेश के रूप में निर्देशित किया गया था कि वह 15 दिन के अन्दर वादी को संयोजन निर्गत करें अगर वादी के दस्तावेज तथा अन्य वाणिज्यिक औपचारिकतायें पूरी हैं। विभाग को यह भी निर्देशित किया गया था कि अगर संयोजन देने में कोई विधिक अडचन है तो 15 दिन के अन्दर कारण सहित अपनी आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी तिथि 15.01.2026 नियत की गयी थी।

15/1/26

15/01/26

3.'मंच की सुनवाई दिनांक 15.01.2026 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, एईआर ने बताया कि वादी का विद्युत संयोजन दिनॉक 13.01.2026 को उर्जित कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि वादी द्वारा फोन नं0 8420190102 के माध्यम से कर दी गई है और वादी संतुष्ट हैं।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि वादी का विद्युत संयोजन दिनॉक 13.01.2026 को उर्जित कर दिया गया है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा फोन नं0 8420190102 के माध्यम से कर दी गई है और वादी संतुष्ट हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 15.01.2026

15/1/26

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

15/1/26

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

कु0 निर्मला तिवारी
न्यायिक सदस्य